CHRI 2020

'जेलों के लिए मानक': महिला कैदियों के अधिकार

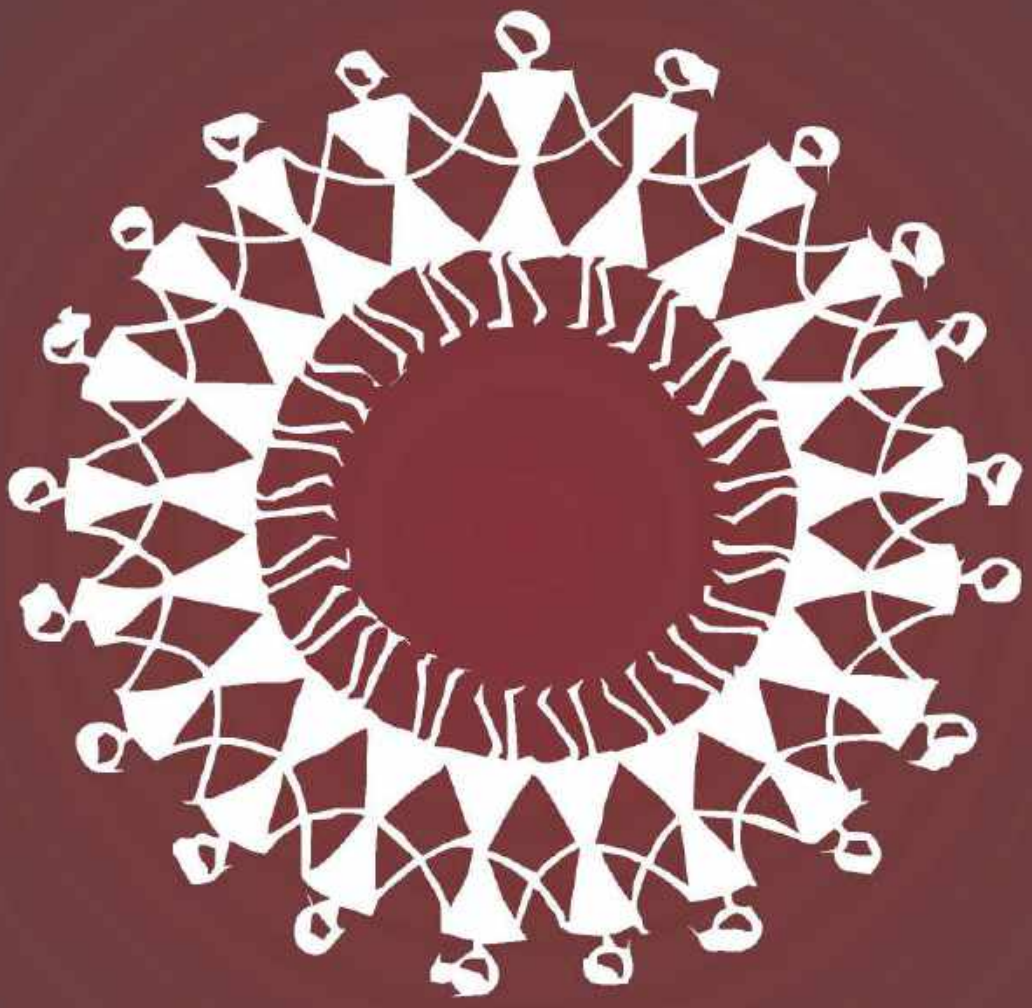

गाइड

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the practical realisation of human rights in the Commonwealth

यह गाइड जेल प्रबधन के लिए लिंग संवेदनशीलता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों में दिए गए महिला कैदियों के अधिकारों को व्यावहारिक रूप से लागू करने की बात कही गई है।

कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव (सी.एच.आर.आई.)

कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव (Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)) मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाला एक स्वतंत्र, गैर लाभकारी, गैर पक्षपातपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसके कार्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम और अक्करा, घाना में हैं और मुख्यालय नई दिल्ली में है। 1987 से इसने राष्ट्र मंडल देशों में मानवाधिकार के मुद्दों के इर्दगिर्द वकालत, जुड़ाव बनाए रखा और संगठित किया। न्याय तक पहुंच (Access to Justice) और सूचना तक पहुंच (Access to Information) के क्षेत्रों में इसकी विशेषज्ञता व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। न्याय तक पहुंच कार्यक्रम पुलिस और कारागार सुधार पर केंद्रित है ताकि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों की मनमानी में कमी आए और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। सी.एच.आर.आई. नीतिगत हस्तक्षेपों पर निगाह रखता है जिसमें विधिक उपचार, नागरिक समाज के गठबंधन का निर्माण और हितधारकों के साथ जुड़ाव शामिल है। सूचना तक पहुंच कार्यक्रम सूचना के अधिकार और सूचना की स्वतंत्रता के कानून को सर्वत्र भौगोलिक दृष्टि से देखता है, विशिष्ट परामर्श उपलब्ध कराता है, चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है, पारदर्शिता कानूनों के व्यापक प्रयोग की प्रक्रिया और क्षमता को बढ़ाता है। हम मीडिया और मीडिया के अधिकारों पर दबावों की समीक्षा करते हैं जबकि छोटे राज्यों के मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और राष्ट्रमंडल सचिवालय पर दबाव बनाने के लिए नागरिक समाज की आवाज़ को पहुंचाने क प्रयास करता है। एस.डी.जी. 8.7 एक नया कार्यक्षेत्र है जिसका समर्थन, अन्वेशण और लामबंदी पूरे भौगोलिक क्षेत्र में दासता के समकालीन स्वरूप से निपटने के लिए बनाई गई है।

सी.एच.आर.आई. को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है और राष्ट्रमंडल परिषद से प्रमाणित है। अपनी विशेषज्ञता के लिए सरकारों, प्रबंध निकायों और नागरिक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सी.एच.आर.आई. भारत में सोसाइटी, लंदन में चैरिटी और घाना में गैर सरकारी संगठन के बतौर पंजीकृत है।

हालांकि, 54 देशों के संघ राष्ट्रमंडल ने सदस्य देशों को साझा कानून का आधार प्रदान किया लेकिन सदस्य देशों में मानवाधिकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान कम ही दिया गया। इसलिए 1987 में कई राष्ट्रमंडल पेशेवर संगठनों ने सी.एच.आर.आई. की स्थापना की।

सी.एच.आर.आई. अपने अनुसंधान, प्रतिबद्धता, लामबंदी, रिपोर्टों और सामयिक पड़तालों के माध्यम से अधिकार के मुद्दों पर प्रगति और असफलताओं पर ध्यान आकर्षित करता है। यह राष्ट्रमंडल सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्यों, मीडिया और नागरिक समाज को सम्बोधित करता है। यह सार्वजनिक शिक्षा कार्यक्रमों, नीतिगत चर्चा, तुलनात्मक अनुसंधान, वकालत और सूचना एवं न्याय तक पहुंच बनाने के मुद्दों पर नेटवर्किंग के लिए काम करता है और सहयोग देता है।

सी.एच.आर.आई. मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा, राष्ट्रमंडल हरारे के सिद्धांतों और अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अन्य प्रपत्रों के साथ–साथ मानवाधिकारों का समर्थन करने वाले घरेलू प्रपत्रों के अनुपालन को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

अंतर्राष्ट्रीय परामर्श आयोग: एलिसन डक्सबरी, अध्यक्ष। सदस्य: वजाहत हबीबुल्लाह, जोआना एडवर्ड जेम्स, एडवर्ड मोर्टिमर, सैम ओकुडजिटो और संजोय हज़ारिका।

कार्यकारी समिति (भारत): वजाहत हबीबुल्ला, अध्यक्ष। सदस्य: किशोर भार्गव, वी. के. चंद्रशेखर, जयंतो चौधरी, माजा दारूवाला, नितिन देसाई, कमल कुमार, मदन बी. लोकुर, पूनम मुतरेजा, जैकब पुन्नूसे, विनीत राय, ए. पी. शाह और संजोय हज़ारिका।

कार्यकारी सामिति (घाना): सैम ओकुडज़ेटो, अध्यक्ष। सदस्य: अकोटो एम्पा, वजाहत हबीबुल्लाह, कोफी कुआर्षिगह, जूलियट टुआकली और संजोय हज़ारिका।

कार्यकारी समिति (यू.के.): जोआना एडवर्ड जेम्स, अध्यक्ष। सदस्य: रिचर्ड बोर्न, प्रलब बरुआ, टोनी फोरमैन, निवेले लिंटन, सुज़ाना लैम्बर्ट और संजोय हज़ारिका।

अंतर्राष्ट्रीय निदेशक: संजोय हज़ारिका।

आई.एस.बी.एन: 978.93.81241.64.6

©कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनीशिएटिव 2019। स्रोत को विधिवत स्वीकार करते हुए इस रिपोर्ट की सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है।

सी.एच.आर.आई. मुख्यालय, नई दिल्ली (भारत)
55ए, तीसरा माला,
सिद्धार्थ चैम्बर्स
कालू सराय, नई दिल्ली 110016
भारत
टेलफोन: +91 11 4318 0200
फैक्स: +91 11 4318 0217
ई–मेल:
info@humanrightsinitiative.org

सी.एच.आर.आई. लंदन (यू.के.)
रूम न0 219
स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडी,
साउथ ब्लाक, सिनेट हाउस
मालेट स्ट्रीट, लंदन WC1E 7HU
यूनाइटेड किंगडम
ई–मेल
london@humanrightsinitiative.org

सी.एच.आर.आई. अक्करा (अफ्रीका)
हाउस न0 9, सामोरा मैकल स्ट्रीट,
असाइलम डाउन,
बीवरली हिल्स होटल के सामने
ट्रस्ट टावर के पास, अक्करा, घाना
टेली0/फैक्स: +233 302 971170
ई–मेल:
chriafrica@humanrightsinitiative.org

www.humanrightsinitiative.org

लेखक : अंजू अन्ना जॉन
संपादक : मधुरिमा धानुका और सुगंधा शंकर
डिज़ाइनर : गुरनाम सिंह
अनुवादक : धनञ्जय झा
समीक्षक : निकिता भुकर और काकोली रॉय

परिचय

यह गाइड क्यूं?

चारों तरफ से बंद जेल के भीतर क्या हो रहा है, इस बात से बाहरी दुनिया पूरी तरह अनजान होती है। इस बंद माहौल की वजह से कैदियों में हिंसा और दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। एक सच्चाई यह भी है कि हिरासतीय व्यवस्थायें महिला कैदियों की कमज़ोरी बढ़ाती हैं। यहाँ पर इस बात का जिक्र भी जरुरी हो जाता है कि समानता के अधिकार के लिए महिलाओं का संघर्ष भले जितना लंबा हो, मगर अभी भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। सदियों से इस पुरुष–प्रधान समाज में महिलाओं को उनके अधीन रखने की परंपरा चली आ रही है। इसने महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित किया है। महिला कैदी इन चुनौतियों से लगातार प्रभावित होती रही हैं। जेल में मुख्यतः पुरुष कैदी रहते हैं। इसकी वजह से इसकी संरचना उन्हीं की जरूरतों के अनुसार होती है। नीतिगत सुधारों को शुरु करने या पहले से चली आ रही नीतियों में बदलाव लाते समय अक्सर महिला कैदियों की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि महिला कैदियों की जरूरतें पुरुष कैदियों से अलग होती हैं। महिला कैदियों की सामान्य जरूरतों को भी आमतौर पर इसलिए अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है। हालांकि, भारत में महिला कैदियों की संख्या अभी भी कम है, मगर पिछले कुछ वर्षों में इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। इसलिए, महिला कैदियों के प्रबंधन और उनकी स्थिति में सुधार से संबंधित मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से ध्यान देने की जरुरत है। भारत में महिला जेल की संख्या काफी कम है, इसलिए महिला कैदियों को ज्यादातर सामान्य जेल में ही पुरुष कैदियों से अलग करके रखा जाता है। जेल के अंदर अक्सर इन्हें तंग जगह में रहना पड़ता है, इसलिए वहां मौजूद सुविधाओं तक ये आसानी से नहीं पहुंच पातीं। जबकि पुरुष कैदियों के लिए इसे हासिल करना बेहद आसान होता है। इसलिए, महिला कैदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। सुरक्षा और सुधार जेल प्रशासन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं।

महिला कैदियों के संदर्भ में, न केवल यह आवश्यक है कि जेल में रहने के दौरान इन्हें किसी भी प्रकार के शोषण से बचाया जाये, बल्कि ये भी जरुरी है कि इनके सुधार, पुनर्वास और जीवन–कौशल प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँ ताकि वो आत्मनिर्भर हो सकें और सज़ा पूरी करने के बाद वापस समाज में अपना स्थान बना सके। महिला कैदियों का स्वास्थ्य भी एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से ध्यान देने वाले वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निकायों, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तथा गैर–सरकारी संस्थानों की ओर से महिला कैदियों से जुड़े मुद्दों पर निरंतर ध्यान देने की जरुरत है। महिला कैदियों के बच्चों पर भी ध्यान देने की सख्त जरुरत है तथा महिला अपराधियों को जेल की सज़ा देने के बदले दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए कानून में जरुरी बदलाव करने की दिशा में पहल करने की भी जरुरत है।

गाइड के बारे में:

यह गाइड गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल जेल मैनुअल 2016 सहित विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत निर्धारित मानकों को शामिल करती है, जैसे कैदियों के साथ उचित व्यवहार को लेकर बने संयुक्त राष्ट्र नियम के निर्धारित न्यूनतम मानक, (नेल्सन मंडेला नियम) 2015 का पालन, साथ ही महिला कैदियों के साथ गैर–हिरासत उपाय (बैंकॉक नियम) 2010 के अनुसार उचित व्यवहार और इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ अपराधियों के लिए गैर–हिरासत उपाय (बैंकॉक नियम) 2010 भी है।

ये गाइड सभी श्रेणियों की महिला कैदियों के लिए मान्य है, जिनमें आपराधिक और सिविल मामलों के दोषी वैसी सभी महिलाएं हैं, जिन्हें या तो सज़ा मिल चुकी है या विचाराधीन हैं।

इस प्रकाशन का उद्देश्य मार्गदर्शक के रूप में जेल कर्मचारियों को जेल प्रशासन में सहायता करना है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सजा काटने के दौरान महिला कैदियों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, आपराधिक न्याय के क्षेत्र में काम करने वाली अन्य संस्थानों जैसे नीति–निर्माताओं, न्यायिक अधिकारी, कानूनी सेवा–प्रदाता के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह गाइड ये सुनिश्चित करने पर जोर देती है कि महिला कैदियों के साथ व्यवहार के लिए न्यूनतम मानक तय किया जा सके और उसे लागू भी किया जा सके।

सबसे पहले ये जरुरी है कि महिला कैदियों की विशिष्ट जरूरतों की पहचान की जाए; उसके बाद जरुरी है संस्थानों को इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रति संवेदनशील और सक्षम बनाया जाए ताकि जेल में महिला कैदियों को सुरक्षित और भयमुक्त माहौल प्रदान किया जा सके।

1. जेल की आधारभूत संरचनाएं

जहाँ तक संभव हो, पुरुष और महिला कैदियों को अलग–अलग जेलों में रखा जाना चाहिए। जिस जेल में पुरुषों और महिलाओं दोनों को साथ रखने का प्रावधान है, महिलाओं को आवंटित परिसर का पूरा हिस्सा पूरी तरह से अलग होना चाहिए[1]। नए जेल की संरचना और निर्माण करते समय महिला कैदियों की विशेष जरूरतों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए। आदर्श रूप से, महिला कैदियों की घर की जिम्मेदारियों, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और उपयुक्त कार्यक्रमों व सेवाओं[2] की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उनके घर के नजदीकी जेल में ही रखा जाना चाहिए।

उन स्थितियों में जहाँ महिला बैरक संरचनात्मक रूप से अलग नहीं है और महिला कैदियों को अपने बैरक जाने के लिए पुरुष बैरक से होकर गुजरना पड़े, वहाँ महिला बैरक को फिर से निर्मित किया जाना चाहिए ताकि महिला कैदियों को पुरुष बैरक से होकर नहीं गुजरना पड़े[3]। उन स्थितियों में जहाँ किसी उप–जेल में सिर्फ एक महिला कैदी हो और उस जेल में महिला कर्मचारी या महिला सुरक्षा गार्ड भी ना हो, वहां आरक्षित महिला होमगार्ड को आपात परिस्थिति के लिए तैयार रखा जाना चाहिए, ताकि जरुरत पड़ने पर प्रभारी अधिकारी उसकी मदद ले सके।

क. आवास

महिला कैदियों को प्रदान की गई सभी सुविधाएँ, स्वास्थ्य की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। महिला वार्ड हवादार[4] हो, ये सुनिश्चित करने की भी जरुरत है। इन स्थानों पर बिजली की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो कैदी पढना चाहे या अन्य काम[5] करना चाहे उन्हें कोई परेशानी न हो।

महिला बैरक में महिला कैदियों के स्वास्थ्य से जुड़ी विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने का समुचित प्रबंध होना चाहिए। कुछ आवश्यकताएं जिसकी महिला कैदियों को जरुरत पड़ती है वो हैं: सुरक्षा, गर्भावस्था, प्रसव और परिवार की देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल और पुर्नवास[6], प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल और उपचार[7]। मूलभूत सुविधाओं[8] को प्रदान करने के मामले में महिला बैरक जहाँ तक संभव हो स्वंय सक्षम हो। उदाहरण के लिए, हर बैरक में अलग से लाइब्रेरी और पढ़ने के लिए जगह होनी चाहिए ताकि महिला कैदी वहां मनोरंजन और ज्ञान–वर्धन के लिए किताबें पढ पाये[9]। वैसी स्थिति में जहाँ जेलों के अन्दर जगह की कमी हो, जहाँ पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं प्रदान करना एक बड़ी चुनौती हो, वहाँ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि पुस्तकालय, खेल का मैदान, पूजा स्थल, फोन बूथ, वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग रुम, बगीचा, इत्यादि तक महिला कैदियों की पहुँच सुगम हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

जेल के अन्दर महिला कैदियों के लिए कम से कम इन चार तरह के आवास होने जरुरी हैं:

- बैरक जहाँ 20 महिला कैदियों को रखा जा सके,
- चार से छह महिला कैदियों के लिए शयनकक्ष,
- वैसी महिला कैदी जिन्हें पढ़ाई के लिए एकांत की जरुरत है उनके लिए एकल कमरा,
- सुरक्षा और सज़ा[10] को ध्यान में रखते हुए महिला कैदियों को अलग–अलग जगह में रखने का प्रबंध न केवल अध्ययन या सुरक्षा के लिए बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए भी किसी महिला को अलग आवास में रखने का प्रबंध किया जा सकता है; इस तरह के आवास में नए महिला कैदियों को भी रखा जा सकता है ताकि वो जेल की स्थितियों से सामंजस्य बैठा सके; प्रसव के बाद भी महिला कैदियों को अलग आवास में रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी संक्रामक रोग[11] से माँ और बच्चे की सुरक्षा की जा सके।

महिला कैदियों में, कुछ को दूसरों से अलग रखना चाहिए। जैसे कि विचाराधीन कैदियों को सज़ायाफ्ता कैदियों से; आदतन अपराधी, वेश्याएं और वेश्याघर चलाने के आरोप में सज़ा काट रही महिला कैदियों को सामान्य अपराधों के लिए सज़ा काट रही महिला कैदियों से, नागरिक कैदियों और बंदियों, जिसमें वैसे बंदी भी शामिल हैं, जिन्हें निवारक प्रावधानों के तहत जेल के अन्दर रखा गया है, को सज़ायाफ्ता और विचाराधीन कैदियों से अलग रखे जाने की जरुरत है[12]।

2. जेल में प्रवेश

प्रवेश के समय, जेल कर्मचारियों को महिलाओं और उनके बच्चों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस समय ये बेहद कमजोर होते हैं।

जेल में प्रवेश के उपरान्त महिला कैदियों को रिश्तेदारों से संपर्क की अनुमति दी जानी चाहिए। कानूनी सलाह, जेल व्यवस्था, जेल नियमों और विनियमों और इसके बारे में जानकारी तथा शिकायत निवारण तंत्र तक उनकी पहुँच सुगम बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह जानकारी उस भाषा में प्रदान की जानी चाहिए जिसे वे समझते हैं और विदेशी नागरिकों के मामले में, उन्हें कांसुलर प्रतिनिधियों[13] तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए। बच्चे के हितों को ध्यान में रखते हुए[14], वैसी महिला जिसके छोटे बच्चे हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का इंतजाम करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

क. जानकारी का अभिलेख

महिला जेलों और जेल के अन्दर महिला वार्ड में एक रजिस्टर हो जिसमें निम्नलिखित विवरण लिखा जाना चाहिए:

- उनकी पहचान से संबंधित जानकारी;
- उन्हें दंडित किए जाने की वजह तथा उन्हें दंड देने वाले कोर्ट का नाम और सज़ा का पूर्ण विवरण;
- उनकी प्रवेश और संभावित रिहाई के दिन और घंटे;
- कैदी के बच्चों का विवरण, जिसमें नाम, आयु, उनका स्थान और उनके अभिभावक[15] शामिल होगा;
- उस जेल या किसी अन्य जेल में बंद किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार का विवरण;
- उनके व्यक्तिगत सामान का विवरण।

आदर्श स्थिति ये होगी कि महिला कैदियों के बच्चों के बारे में जानकारी एक अलग रजिस्टर में दर्ज हो, ताकि इनकी पहचान गोपनीय बनी रहे और इसका उपयोग बच्चों के बेहतर हित में हो[16]। समुदाय में रहने वाले कैदियों के बच्चों की देखभाल और सुरक्षा की जरुरत होती है, इसलिए जेल अधिकारियों को तत्काल जिला बाल कल्याण समिति (सी.डब्ल्यू.सी.) से संपर्क कर उन बच्चों की अभिभावक की स्थिति का पता लगाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहाँ परिवार/दोस्त बच्चे की देखभाल के लिए उपलब्ध नहीं हैं या बच्चे जेल में माँ के साथ नहीं जा सकते, बच्चे को बाल संरक्षण गृह में रखे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक ही महिला कैदी के बच्चों को वैकल्पिक देखभाल में एक साथ रखा जाए। जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे को इस तरह से रखा जाए कि वह सप्ताह में कम से कम एक बार[17] माँ के साथ नियमित रूप से बातचीत कर सके। ऐसे मामलों में जहाँ बच्चा किसी दोस्त या परिवार की देखभाल में है, पहले सप्ताह में महिला कैदी को प्रत्येक दिन एक बार बातचीत करने की इज़ाज़त दी जानी चाहिए और उसके बाद कम से कम सप्ताह में दो बार बातचीत करने की अनुमति एक निश्चित समय तक मिलनी चाहिए। कई जेलों में कैदियों के लिए फोन की सुविधा नहीं है, ऐसी स्थिति में महिला कैदियों को अधिकारी के फोन के उपयोग की इज़ाज़त दी जा सकती है[18]।

सभी पैसे, गहने और कपडे जो महिला जेल में प्रवेश के समय अपने साथ लाती है या पुलिस द्वारा बाद में भेजा जाता है या महिला कैदी की ओर से रिश्तेदारों द्वारा रिहाई से पहले लिया जाता है इनको ड्यूटी पर मौजूद उप–अधीक्षक या किसी अफसर के द्वारा ही प्राप्त किया जाना चाहिए।

ऐसे सभी सामानों की सूची प्रवेश रजिस्टर और कैदी के वारंट में दर्ज की जानी चाहिए और जेल अधीक्षक की उपस्थिति में इन सामानों का विवरण कैदी को सुनाया जाना चाहिए और रजिस्टर और वारंट पर जेल अधीक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए।

कैदी के कीमती सामानों के भंडारण की विधि, संबंधित राज्य के जेल मैनुअल में निर्धारित सामान्य नियमों के अनुसार ही होगी[19]। महिला कैदियों को कम मूल्य के छोटे गहने जैसे मंगल–सूत्र, चूड़ियाँ और पैर की अंगूठियाँ रखने की इज़ाज़त

मिलनी चाहिये। हालाँकि, जेल अधीक्षक अनुशासनात्मक या सुरक्षा कारणों से[20], अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन गहनों को रखने की इजाजत देने से मना कर सकता है।

ख. तलाशी

महिला कैदियों की तलाशी[21] लेते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी कोई भी तलाशी उनकी गरिमा को ठेस न पहुंचाए। ऐसी तलाशी एक अलग कमरे में किसी वरिष्ठ महिला कर्मचारी/अधिकारी की उपस्थिति में महिला वार्डर द्वारा ही की जानी चाहिए। इस तलाशी में गोपनीयता और शालीनता का भी पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में पुरुष कर्मचारी[22] की उपस्थिति में बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए।

यह भी जरुरी है कि कोई भी महिला कैदी दूसरी महिला कैदी की तलाशी में शामिल न हो, और तलाशी सिर्फ महिला कर्मचारी के द्वारा ली जाए। महिला कैदियों की तस्वीर, पैरों के निशान, अंगुलियों के निशान और वजन लेने जैसे कार्य महिला कर्मचारी द्वारा जेल अधिकारियों या महिला वार्डर[23] की उपस्थिति में ही किया जाना चाहिए।

कपड़े उतारकर या अन्य ऐसी ही किसी तरह की प्रत्यक्ष तलाशी[24] के बदले वैकल्पिक तलाशी जैसे कि स्कैन जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। महिला कैदियों के साथ आये या मिलने के लिए आये बच्चों[25] की तलाशी लेते समय जेल कर्मचारियों का व्यवहार पेशेवर और संवेदनशील होना चाहिए। शारीरिक तलाशी कानून द्वारा नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है और उनके उपयोग की शर्तों और तौर–तरीकों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए स्पष्ट नीतियों और गाइड को लागू करने की आवश्यकता है[26]। राज्य के जेल विभागों को महिलाओं की तलाशी के लिए एक गाइड विकसित करना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित हो कि किस महिला कैदी की किस तरह से जांच की जा सकती है। किन परिस्थितियों में कैदियों की विभिन्न श्रेणियां बनाई जा सकती है तथा जांच के तरीकों और जगह को शामिल किया जा सकता है।

ग. प्रवेश पर चिकित्सा जाँच

जेल में प्रवेश के समय महिला कैदियों की चिकित्सा जाँच महिला चिकित्सा अधिकारी[27] के द्वारा ही की जानी चाहिए। जेल में महिला चिकित्सा अधिकारी नहीं होने की स्थिति में, महिला कैदियों की जाँच के लिए ज़िला सरकारी अस्पताल के किसी महिला चिकित्सा अधिकारी की सेवा ली जानी चाहिए[28]।

चिकित्सा परीक्षण व्यापक होनी चाहिए और इसमें निम्न सभी परीक्षण शामिल होने चाहिए:

- एच.आई.वी. सहित अन्य यौन संक्रामित रोगों की मौजूदगी निर्धारित करने के लिए।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जरुरत का आंकलन (आघात के बाद तनाव विकार, आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुँचाने का खतरा शामिल है)।
- गर्भधारण और संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में विवरण।
- क्या कैदी किसी दवा विशेष पर निर्भर है।
- जेल में प्रवेश से पहले क्या कैदी के साथ कभी यौन दुर्व्यवहार हुआ था या कैदी ने किसी अन्य तरह की हिंसा का सामना किया था[29]।

महिलाओं की चिकित्सा जाँच जेल में प्रवेश के तुरंत बाद होनी चाहिए या फिर उस दिन के खत्म होने से पहले हो जानी चाहिए। इस प्रक्रिया का पालन उप–जेलों में भी होना चाहिए। जिन उप–जेलों में चिकित्सा कर्मचारी नहीं है, उन जेलों को जिला/स्थानीय चिकित्सा अधिकारी की मदद लेनी चाहिए ताकि महिला कैदियों की जाँच का कार्य जेल में प्रवेश के दिन ही संपन्न हो सके।

चिकित्सा परीक्षण में हिरासत में लिए जाने से पहले या बाद में किसी भी तरह के यौन दुर्व्यवहार या अन्य हिंसा के संकेत मिलते हैं तो महिला कैदियों को न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेने के उनके अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए।

न्यायिक मदद से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के बारे में महिला कैदियों को बताया जाना चाहिए।

अगर महिला कैदी कानूनी कार्यवाई करना चाहती है तो वैसी स्थिति में उपयुक्त कर्मचारियों को सूचित किया जाना चाहिए और मामले को तुरंत जाँच के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए। जेल प्रशासन को ऐसी महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।

महिला किसी के खिलाफ कानूनी कार्यवाई करना चाहती है या नहीं चाहती है, ये निर्णय लेने का अधिकार उसका है। मगर, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि महिला कैदियों को मनोवैज्ञानिक सहायता या परामर्श शीघ्र मिले[30]।

यदि कैदी के गर्भवती होने का संदेह है तो महिला चिकित्सा अधिकारी को इसकी सूचना जेल अधीक्षक[31] को देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उस महिला कैदी को ज़िले के सरकारी अस्पताल के महिला वार्ड में ले जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य, गर्भावस्था, गर्भावस्था की अवधि, डिलीवरी की संभावित तारीख का पता लगाया जा सके। ये सभी जाँच संपन्न होने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट जेल अधीक्षक[32] को भेजी जानी चाहिए।

महिला कैदियों के साथ आने वाले बच्चों का भी चिकित्सा जाँच किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से बच्चों का चिकित्सा जाँच बाल स्वास्थ्य विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिये ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को किसी इलाज की जरुरत तो नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए[33]।

घ. कानूनी प्रतिनिधित्व का पता लगाना

अधिकतर महिला कैदी कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ होती हैं। इसलिए, जेल में प्रवेश के बाद उन्हें कानूनी सलाह और वकीलों की मदद कैसे मिल सकती है, इससे संबंधित सभी जानकारी दी जानी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को चाहिए कि कैदियों का मामला देखने वाले वकील या कानूनी मदद देने वाले स्वयंसेवकों को शीघ्र जेल भेजे ताकि वो जेल में आये हुए नये महिला कैदी से मिल सके। यदि जेल में प्रवेश करने वाली महिला कैदी विदेशी नागरिक है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को संबंधित दूतावास/वाणिज्य दूतावास/उच्चायोग को सूचित करना चाहिए ताकि महिला कैदी के परिवार को सूचित किया जा सके।

ङ. परिवार के साथ संपर्क

हर नए भर्ती किये गये कैदी को अपने रिश्तेदारों/दोस्तों/कानूनी सलाहकारों से मिलने की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वो सज़ा पर पुनर्विचार या संशोधन याचिका या जमानत प्राप्त करने के लिए अर्जी दे सके। उसे ये अनुमति दी जानी चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ पत्र या अन्य माध्यमों के द्वारा लगातार संपर्क में रहे। यदि जरुरी हो तो उसे अपने रिशेत्दारों से जेल में मिलने–जुलने का ज्यादा मौका दिया जाना चाहिए। यदि जेल अधीक्षक इसे जरुरी मानते हों तो महिला कैदी को अपनी संपत्ति के प्रबंधन की व्यवस्था या अन्य पारिवारिक मामले[34] निपटाने में मदद करनी चाहिए।

च. बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान

कपड़े: महिला कैदियों[35] को पर्याप्त कपड़े मुहैया कराये जाने चाहिए। सभी राज्य कपड़े संबंधी आवश्यकताओं के लिए, जिनमें समुचित गर्म कपड़े भी शामिल हैं, राज्य की जलवायु और सांस्कृतिक मानदंडों[36] के अनुसार दिशा–निर्देश बना सकते हैं। ऐसी विचाराधीन महिला कैदी जिन्हें अपने परिवार से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है, उन्हें एक किट प्रदान की जानी चाहिए। इस किट में कपड़े के दो सेट होने चाहिएँ जिसमें अलग–अलग साइज़ के अंडरगारमेंट्स, तौलिया, टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, हाथ–धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन/डिटर्जेंट, शैम्पू, बालों का तेल, कंघी, कुमकुम और सैनिटरी पैड[37] जरुर शामिल हो। जो बच्चे अपनी माताओं के साथ जेल आते हैं उनके लिए भी जरुरी परिधान उपलब्ध कराये जाने चाहिए। ये परिधान वैसे हों जैसे वो अपने स्थानीय समुदाय में पहनते हैं[38]।

बिस्तरः महिला कैदियों को सोने के लिए जगह और पर्याप्त बिस्तर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस बात का जरुर ख्याल रखा जाना चाहिए कि जारी करते समय ये साफ़ सुथरा हो[39] और इस्तेमाल के बाद इसको एक निश्चित अंतराल के बाद धोने के लिए भेजा जाये ताकि सफाई सुनिश्चित की जा सके। स्थानीय जलवायु[40] को ध्यान में रखते हुए महिला कैदियों को कवर सहित एक तकिया, और ऊनी कंबल प्रदान किया जाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक बार, कैदी की चीज़ें जैसे की बिस्तर, कपड़े और अन्य उपकरणों का निरीक्षण किसी महिला अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए ताकि सफाई से संबंधित उचित मानकों[41] को बनाए रखा जा सके।

3. मूलभूत सुविधाएं

क. पानी, और सफाई स्वच्छता

पानीः कैदियों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जानी चाहिए और पानी की स्वच्छता का परीक्षण समय–समय पर जरुर किया जाना चाहिए[42]। व्यक्तिगत स्वच्छता[43] बनाये रखने में मदद के लिए जेल में पानी की नियमित आपूर्ति होनी चाहिए। समय–समय पर जल गुणवत्ता परीक्षण, शौचालयों में पानी की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्नान/पानी की आपूर्ति के न्यूनतम मानक का परीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि ये माहवारी/यौन या प्रजनन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।

स्नानघर और शौचालयः जेल के अन्दर स्नानघर और शौचालय की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए और इसकी स्वच्छता बनाये रखने का ध्यान रखा जाना चाहिए। सामान्य स्वच्छता बनाये रखने के लिए हर कैदी को मौसम के अनुसार उपयुक्त तापमान के पानी से स्नान करने की व्यवस्था होनी चाहिए।[44] ये जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि महिला कैदियों की निजता और गरिमा को किसी प्रकार से ठेस न पहुंचे। इसके लिए, बैरक के अंदर स्थित शौचालयों की दीवारों को उंची करने, स्नानघर में दरवाजे इत्यादि प्रदान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

कपड़ों का रख–रखावः सभी कपड़ों को साफ करके उचित स्थिति में रखना चाहिए। महीने में कम से कम दो बार[45] उन कपड़ों को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए और इसके लिए महिला कैदियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

स्वच्छताः किसी भी जेल के लिए परिवेश की स्वच्छता के साथ–साथ व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाना जरुरी है। जेल के अंदर महिला बैरक को हमेशा साफ सुथरा रखा जाना चाहिए[46]। महिला बैरक के अंदर शारीरिक श्रम और रख–रखाव से जुड़ा हुआ कोई भी काम महिला कैदियों से नहीं करवाया जाना चाहिए। इस तरह के कार्यों के लिए विशिष्ट कर्मचारियों[47] को लगाया जाना चाहिए। बेहतर स्वच्छता को बनाये रखने के लिए प्रत्येक हाथ धोने की जगह (वॉश एरिया) में एक साबुन डिस्पेंसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसे समय–समय पर भरते रहना चाहिए। जहाँ तक व्यक्तिगत स्वच्छता का सवाल है, अंडरगारमेंट्स की जैसी आवश्यकता हो और जितनी बार संभव हो धुलाई की जानी चाहिए[48]।

माहवारी उत्पादों और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचः आदर्श रूप से, सैनिटरी पैड के अलावा, महिला कैदियों को कम लागत की और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को चुनने का मौका भी दिया जाना चाहिए। ऐसे उत्पादों में शामिल है माहवारी के कप, कपड़े के पैड, साथ ही वैसे कपड़े के पैड जिसके लिए पैन्टी की जरुरत नही पड़ती है। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड की जरुरत सबसे अहम् है, इसे हर हाल में मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए[49]।

माहवारी के दौरान महिला कैदियों को कम से कम 4–6 पैड्स प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि माहवारी की अवधि सभी महिलाओं की एक जैसी नहीं होती है। इस बात का जरुर ध्यान रखा जाना चाहिए कि माहवारी के दौरान महिलाएं 4–6 घंटों के अंतराल पर एक बार पैड जरुर बदलें। कपड़े धोने और सुखाने की सुविधा बारिश और नमी वाली जगह से दूर हो ताकि अंडरगारमेंट्स और अन्य कपडों को सुखाने में किसी तरह की कोई कठिनाई न आये।

जहाँ तक गुणवत्ता की बात है, सैनिटरी पैड ऐसे विक्रेताओं से खरीदा जाना चाहिए जो डिस्पोजेबल सेनेटरी पैड के लिए भारतीय मानक ब्यूरो बी.आई.एस. (Bureau of Indian Standards) द्वारा निर्धारित मानदंडों पर खरा उतरता हो।

महिला जेल या बैरक में ये सभी चीजें जरुर होनी चाहिएँ:

- सभी महिला बैरकों में ढक्कनवाला एक कूडेदान हो ताकि तालाबंदी के समय और रात में सेनेटरी पैड का निपटान किया जा सके।

- कपडे सुखाने की रस्सी ताकि धोने के बाद अंडरवियर और तमाम अन्य कपड़ों को सुखाया जा सके।
- माहवारी के समय शरीर में होने वाले ऐंठन को रोकने के लिए हॉट वाटर की थैलियाँ।
- पुराने अखबार की हर समय उपलब्धता ताकि सेनेटरी पैड्स के निपटान में कोई दिक्कत न हो।

जहाँ तक पैड के निपटान का सवाल है उसे हमेशा एक अलग अपशिष्ट निपटान बिन मे इकठ्ठा किया जाना चाहिए। ये पैड को अखबार से लपेट कर, उसपे लाल निशान लगा देना चाहिए ताकि इसे अलग करने में आसानी हो और इसे सीधे वैसे हॉस्पिटल या अथॉरिटी में भेजा जा सके जहाँ इसे जला कर नष्ट करने की सुविधा हो। ऐसी जेलों में जहाँ पैड जलाए जाने की मशीन (incineration machine) है, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह World Heath Organisation के मानकों के अनुरूप कार्य करता हो।

ख. आहार और रसोई

आहार चार्ट[50]

क. सभी कैदियों के लिए

क्र.सं.	आहार की वस्तुएँ	मात्रा
1.	अनाज (बाजरा सहित)	600 ग्राम
2.	दाल	सप्ताह में दो बार (100 ग्राम)
3.	सब्जी i. पत्तेदार हरी सब्जी ii. कंदमूल iii. अन्य	250 ग्राम
4.	मछली या मॉस या दूध घी मूंगफली	100 ग्राम 500 मि.ली. 15 ग्राम 100 ग्राम
5.	दूध दही	50 मि.ली. 100 मि.ली.
6.	चना (भुना हुआ)	60 ग्राम
7.	गुड़	20 ग्राम
8.	तेल	30 ग्राम
9.	नमक	30 ग्राम
10.	इमली	15 ग्राम
11.	जीरा या तेजपत्ता	5 ग्राम
12.	हल्दी	2 ग्राम
13.	धनिया	5 ग्राम
14.	मिर्ची	5 ग्राम
15.	प्याज	25 ग्राम
16.	कॉफी या चाय	
17.	सफेद चीनी	50 ग्राम
18.	काली मिर्च	3 ग्राम
19.	सरसों	2 ग्राम
20.	लहसुन	2 ग्राम
21.	नारियल	1/20वा

ख. गर्भवती और प्रसव के बाद महिला कैदियों के लिए (नियमित आहार के अलावा)

क्र.सं.	आहार की वस्तुएँ	मात्रा
1.	दूध	250 ग्राम
2.	चीनी	60 ग्राम
3.	सब्जियाँ	100 ग्राम
4.	मछली / माँस या दही	300 या 200 ग्राम / 50 मि.ली.

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार ताजे फल भी दिए जाने चाहिए।

स्तनपान कराने वाली महिला कैदियों के लिए पानी / दूध को गर्म करने और उबालने की व्यवस्था कराई जानी चाहिए।

ग. तीन से छह साल के बच्चों के लिए:

क्र.सं.	आहार की वस्तुएँ	मात्रा
1.	अनाज	100 ग्राम
2.	दलहन	60 ग्राम
3.	सब्जियां i. पत्तेदार ii. कंदमूल iii. अन्य	125 ग्राम
4.	मछली या माँस या दही	150 या 100 ग्राम / 50मि.ली.
5.	दूध	150 मि.ली.
6.	नमक	20 ग्राम
7.	तेल	30 मि.ली.
8.	गुड़	30 ग्राम
9.	इमली	10 ग्राम

चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार बच्चों को ताजे फल भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

रसोई: ऐसे बैरक, जिसमें 100 या उससे अधिक महिलाएं रहती हैं वहां अलग रसोई होनी चाहिए। हालांकि, अक्सर एक बैरक में आमतौर पर सौ से कम महिलाएं रहती हैं इसलिए जहाँ तक संभव हो ऐसे बैरक में भी अलग रसोई स्थापित की जा सकती है।

ग. परिवार और बच्चों के साथ संवाद

जेल कर्मचारियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर महिला कैदी अपने परिवार या दोस्तों से संपर्क करना चाहती हैं तो कर पाएं[1]। महिला कैदियों को उनके परिवार, बच्चों, बच्चों के अभिभावक और कानूनी प्रतिनिधि से मिलने से संपर्क स्थापित करने के लिए हर उचित माध्यम के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जेल के नियमानुसार महिला कैदियों को बाहरी दुनिया से उचित संपर्क, जिनमें जेल के अन्दर मिलने–जुलने का अवसर, टेलीफोन संपर्क, इलेक्ट्रॉनिक संचार संपर्क, वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार, पत्राचार इत्यादि स्थापित करवाने में हर संभव मदद की जानी चाहिए। जेल में महिला कैदियों के लिए आने वाले पत्रों की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। निरक्षर या अर्ध–निरक्षर कैदियों को पत्र लिखने में सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

हर महिला जेल में आगंतुकों के लिए एक प्रतीक्षालय उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बच्चे से मुलाकात एक अच्छे माहौल में होनी चाहिए, जिसमें जेल कर्मचारी का व्यवहार ऐसा हो जिससे बच्चे असहज महसूस न करें; माँ और बच्चे के बीच खुले माहौल में संपर्क होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो, बच्चों के साथ लंबे संपर्क को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए[52]। जो पुरुष और महिला कैदी जो पति–पत्नी हैं या जिनमें खून का रिश्ता है, जो एक ही जेल में रहते हैं या पुरुष कैदी केंद्रीय कारागार और महिला कैदी महिला जेल में रहते हैं, उन्हें जेल अधीक्षक द्वारा सप्ताह में कम से कम एक दिन मिलने का अवसर मिलना चाहिए[53]। अगर कैदी को एक ऐसी मुलाकात के लिए जेल से बाहर भेजा जाए तो उसे पर्याप्त सुरक्षा सहित भेजा जाना चाहिए[54]।

घ. मनोरंजन

महिला कैदियों के लिए मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जिनमें सरल मैदानी खेल, भजन, संगीत, लोक नृत्य, नाटक, टीवी, रेडियो और फिल्म शो शामिल हों। तनाव प्रबंधन तथा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए[55] महिला कैदियों को ध्यान और योग की सुविधाएं दी जानी चाहिए।

ङ. शिकायत निवारण

महिला बैरक में प्रमुख स्थान पर एक शिकायत पेटी होनी चाहिए, जिसे जेल अधीक्षक की उपस्थिति में सप्ताह में कम से कम दो बार खोला जाए। किसी भी तरह के दुर्व्यवहार की शिकायत करने वाली महिला कैदियों को तत्काल सुरक्षा, सहायता और परामर्श प्रदान किया जाए और महिला कैदी की निजता का पूरा ख्याल रखते हुए योग्य और स्वतंत्र संस्थान द्वारा जाँच की जाए। बदले की कार्यवाई के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के उपाय लिए जाने चाहिए[56]।

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013[57] के तहत आंतरिक अभियोजन कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। इस कमेटी द्वारा महिला कैदियों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए उचित सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। संदर्शक बोर्ड (Board of Visitors) विशेष रूप से महिला कैदियों की हिरासत और उपचार की शर्तों की निगरानी करेगा[58]।

4. चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

क. लिंग–विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल

हर महिला जेल में महिलाओं के लिए 10 बेड का अस्पताल होना चाहिए। हर महिला जेल में उपचार कार्यक्रमों की समुचित योजना बनाई जाए और उनका विकास किया जाए। कम से कम एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ और मनोचिकित्सक की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक्स–रे, ई.सी.जी. के लिए आधुनिक उपकरण, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी उपलब्ध होनी चाहिए[59]।

ऐसी जेल जहाँ महिला बैरक है, जेल अस्पतालों[60] में महिलाओं के लिए अलग से वार्ड होना चाहिए। बीमार महिला कैदियों का इलाज एक अलग वार्ड में होना चाहिए। ये वार्ड या तो महिला बैरक के अंदर हो या अस्पताल में ही अलग वार्ड हो[61]। जेलों के अंदर महिलाओं के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर कम से कम वैसा हो जो सामान्य तौर पर किसी महिला को एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र[62] पर मिलता है।

जेल में प्रवास के दौरान[63] महिला कैदियों की चिकित्सा देखभाल सिर्फ महिला डॉक्टरों द्वारा किया जाना चाहिए। जब तक तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की जरुरत न हो, महिला कैदी की स्वास्थ्य संबंधित जाँच महिला डॉक्टर द्वारा ही की जानी चाहिए। आपात स्थिति में यदि स्वास्थ्य जाँच कोई पुरुष डॉक्टर द्वारा की जाती है तो यह जाँच महिला कर्मचारी की उपस्थिति[64] में ही होनी चाहिए। विशेष उपचार के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्थानीय जिला अस्पताल या बाहरी जिले में भेजे गए रोगी महिला कैदियों के उपचार के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में चिकित्सा एस्कॉर्ट्स प्रदान

किए जाने चाहिए। मादक द्रव्यों के सेवन करने वाली महिलाओं का इलाज करने वाले चिकित्सा अधिकारियों को पूर्व में हुए किसी तरह के उत्पीड़न की संभावना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की विशेष जरूरतों के साथ–साथ विविध पृष्ठभूमि[65] को ध्यान में रखना चाहिए।

ख. मानसिक स्वास्थ्य सेवा

महिला कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास कार्यक्रमों तक पहुँच होनी चाहिए जो व्यक्तिगत और लिंग–संवेदनशील हैं। मनोदैहिक और मनोवैज्ञानिक विकारों से पीड़ित महिला कैदियों, यौन शोषण के शिकार और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों वाले लोगों को उचित परामर्श और चिकित्सा उपचार मिलना चाहिए[66]। जेल कर्मचारियों को भी विभिन्न उदाहरणों के बारे में समझाया जाना चाहिए जब महिलाओं को विशेष संकट[67] महसूस हो सकता है।

खराब मानसिक स्वास्थ्य के कुछ सामान्य लक्षणों को पहचान कर वे मदद कर सकते हैं तथा जरुरत पड़ने पर किसी प्रशिक्षित और पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ[68] की मदद ले सकते हैं। किसी भी इस तरह के मामले को संभालते समय मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को सावधानी और समझदारी दिखाने की जरुरत है[69]। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों द्वारा नैदानिक निर्णयों को गैर चिकित्सा जेल कर्मचारियों द्वारा नजरअंदाज या रद्द नहीं किया जाना चाहिए[70]।

मानसिक रोगों के इलाज की जरूरतमंद महिला कैदियों को जेल में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें महिला चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में या अन्य मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं में महिला रोगियों के लिए अलग बैरकों में रखा जाना चाहिए[71]। जेल कर्मी कारावास के नियम बनाते समय आपदा के लिए निर्धारित नियमों का प्रयोग करें[72]।

पाँच प्रमुख मानक हैं:

1. सुरक्षा – कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेल के अन्दर महिलाएं शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करें।
2. विश्वसनीयता – कर्मचारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेल कर्मचारियों और कैदियों के बीच संबंधों का दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित हो और इस सीमा का हर परिस्थिति में पालन किया जाना चाहिए।
3. विकल्प – चिकित्सा, देखभाल और किसी भी तरह के सहयोग में महिला कैदियों की इच्छाओं को प्रथमिकता दी जानी चाहिए।
4. सहभागिता – जेल में महिलाओं से सुझाव आमंत्रित एवं प्रोत्साहित किये जाने चाहिए। महिला कैदियों द्वारा दिए गए किसी भी तरह के सुझावों को महत्व दिया जाना चाहिए।
5. सशक्तिकरण – जेल में दी जा रही सुविधाओं का इस्तेमाल महिला सशक्तिकरण में, उनकी क्षमता और कौशल को पहचानने और विकसित करने में किया जाना चाहिए ताकि जेल से बाहर आने के बाद वो दुबारा सामाजिक जीवन जीने में सफल हो सकें।

ग. आत्महत्या और आत्महानी पहुंचाने की प्रवृत्ति पर रोकथाम

जेल विभागों को महिला कैदियों के बीच आत्महत्या और आत्म–हानि को रोकने के लिए रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और सामाजिक कल्याण सेवाओं के साथ काम करना चाहिए। जिनकी पीड़ित होने की संभावना है, उन्हें विशेष सहायता प्रदान की जानी चाहिए[73]।

घ. स्वास्थ्य निवारक सेवाएं

महिला कैदियों को स्वास्थ्य निवारक सेवाओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ताकि वो एच.आई.वी., अन्य यौन संक्रमित रोगों, रक्त–जनित बीमारियों तथा अन्य महिला रोगों से खुद को बचा सकें। महिलाओं के लिए विशेष रोगनिरोधी स्वास्थ्य देखभाल उपाय, जैसे कि पपनीकलाओ जॉच (Papanicolaou test), स्तन और स्त्री रोग कैंसर के लिए जॉच, समुदाय में एक ही उम्र की

महिलाओं के साथ समान आधार पर किया जाना चाहिए[74]। इसके लिए जेल अधिकारियों को स्थानीय सरकारी या निजी अस्पतालों के साथ सहयोग करने के प्रयास करने चाहियें।

5. कानूनी प्रतिनिधित्व

क. कानूनी जागरूकता

जेल अधिकारियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के साथ मिलकर सुनिश्चित तौर पर जेल के अंदर महीने में कम से कम एक बार कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किया जाना चाहिए। इस तरह के शिविर का उद्देश्य कैदियों को उनके अधिकारों, अदालती कार्यवाही, मुफ्त कानूनी सेवायें और इसे पाने की प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना होना चाहिए[75]। इस शिविर के माध्यम से महिला कैदियों को पैरोल, रेमिशन, फ़र्लो इत्यादि प्रावधानों से अवगत कराया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पाक्षिक या साप्ताहिक नारी बंदी सभा (महिला कैदी की परिषद) भी एक माध्यम है, जिससे महिला कैदी जेल के जीवन, नियम, कानून और अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक हो सकती है।[76]

ख. महिला के बैरक में कानूनी सहायता क्लीनिक

महिला बैरक में अलग कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित किया जाना चाहिए। महिला बैरक/वार्ड के अन्दर यह एक निर्दिष्ट स्थान होगा जहाँ वे कानूनी सहायता देने वाले वकीलों या पैरा लीगल स्वयंसेवक से संपर्क कर सकती हैं ताकि कैदियों को उचित कानूनी सलाह और परामर्श मिल सके। यदि कैदियों के पास वकील का या मुकदमे के खर्च वहन करने के पैसे नहीं हैं या उनके पास अपना कोई वकील नहीं है तो उन्हें सरकारी खर्चे[77] पर एक वकील मुहैया कराया जाएगा। महिला बैरक में सप्ताह में कम से कम दो बार जेल कानूनी सहायता क्लीनिक आयोजित किया जाना चाहिए।

ग. समय–समय पर केस की समीक्षा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी महिला कैदी को अनावश्यक रूप से हिरासत में नहीं रखा जाए, खासकर विचाराधीन महिला कैदियों को, जिस पर कोई गंभीर आपराधिक मामला नहीं है या जिसने पहली बार अपराध किया हो ऐसे मामलों को देखने या समीक्षा करने के लिए एक ज़िला विचाराधीन समीक्षा समिति (UTRC)[78] होनी चाहिए। जेल प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे कैदियों के नाम ज़िला अंडरट्रायल रिव्यु कमिटी (DLSA) सचिव को भेजे जाने वाले लिस्ट में शामिल हों ताकि उनके नाम ज़िला अंडरट्रायल रिव्यु कमिटी (UTRC) के पास समीक्षा के लिए जा सके। अपनी त्रैमासिक बैठक के दौरान, ज़िला अंडरट्रायल रिव्यु कमिटी (UTRC) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के तहत जमानत पर इन कैदियों की रिहाई पर विचार करना चाहिए और उनकी रिहाई की अनुशंसा संबंधित निचली अदालत से करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के "आर.डी.उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य" में दिए गए निर्देशों के तहत ज़िला विचाराधीन समीक्षा समिति (UTRC) उपयुक्त कदम उठाए जाने की सिफारिश भी कर सकता है। (AIR 2006 SC 1946)

6. विशेष समूहों की आवश्यकताएं

क. गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं

किसी गर्भवती महिला को जेल भेजने से पहले सम्बंधित संस्थान को जेल अधीक्षक को उचित आदेश जारी करना चाहिए ताकि जेल में प्रसवपूर्व और प्रसव बाद का इलाज और माँ और बच्चे[79] की देखभाल की न्यूनतम सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके। यदि इसके लिए हिरासत में ली गई किसी महिला को किसी ऐसे सरकारी अस्पताल में या दूसरी जेल में जहाँ ऐसी सुविधा उपलब्ध है, भेजे जाने की जरुरत है तो जेल अधीक्षक को ये कदम भी उठाना चाहिए। एक कुशल चिकित्सा अधिकारी[80] के परामर्श के अनुसार गर्भवती महिला कैदी को उचित प्रसवपूर्व और प्रसव बाद की चिकित्सीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला कैदियों को समय पर पोषक भोजन प्रदान किए जाने की जरुरत है। इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण और नियमित रूप से व्यायाम[81] करने का अवसर प्रदान किए जाने की जरुरत है। उनके लिए एक विशेष आहार[82] निर्धारित किया जाना चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान महिला को अधिक प्रोटीन और मिनरल की जरुरत होती है। उन्हें भोजन में ज्यादा प्रोटीन मिल सके इसके लिए आहार से कुछ वस्तुएँ हटा कर उसके बदले दूध, मछली, माँस और अंडे दिए जा सकते हैं। जो कैदी माँसाहारी नही है उन्हें भोजन में ज्यादा से ज्यादा दूध और दुग्ध उत्पाद दिया जा सकता है। इससे गर्भवती महिला को भोजन के द्वारा जरुरी अतिरिक्त मिनरल्स की आपूर्ति की जा सकेगी[83]।

प्रसव पीड़ा के समय, प्रसव के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं पर किसी तरह का अवरोध इस्तेमाल नहीं होना चाहिए[84]। एकांत कारावास या अनुशासनात्मक अलगाव जैसी कार्यवाही गर्भवती महिलाओं के खिलाफ नहीं की जा सकती[85]।

प्रसवः जहाँ तक संभव हो गर्भवती महिला कैदियों को जेल से अस्थायी छुट्टी दी जानी चाहिए ताकि महिलाएं जेल से बाहर बच्चे को जन्म दे सकें[86]। यदि कोई बच्चा जेल में पैदा होता है, तो यह तथ्य उसके जन्म प्रमाण–पत्र में उल्लेखित नही होना चाहिए[87]। जहाँ तक परिस्थितियाँ इज़ाज़त दें, जेल में जन्मे बच्चे के नामकरण संस्कार की सभी सुविधाएँ माँ को दी जानी चाहिए[88]।

ख. जेल में बच्चों की देखभाल

महिला कैदियों को अपने बच्चों को छह वर्ष[89] की आयु प्राप्त करने तक जेल में अपने साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर कोई अन्य व्यवस्था नहीं की जा सकती है[90] तो वैसी परिस्थिति में छह वर्ष की आयु प्राप्त होने तक बच्चे अपनी माँ के साथ रह सकते हैं, ये नियम उन बच्चों पर भी लागू होता है जिसका जन्म जेल के बाहर हुआ है। उन बच्चों की आयु निर्धारित करने की जिम्मेदारी चिकित्सा अधिकारी की होगी[91]।

महिला कैदियों के बच्चों के साथ न तो सजायफ्ता और न ही विचाराधीन कैदी की तरह व्यवहार किया जाएगा। चिकित्सा मानदंडों और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार बढ़ते हुए बच्चों की कैलोरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके आहार की मात्रा तय की जानी चाहिए। उपयुक्त आकार और प्रकार के अलग–अलग बर्तन प्रत्येक माँ को प्रदान किये जाने चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को खिला सकें[92]। जिन महिला कैदियों के साथ छोटे बच्चे हों उनके लिए दूध और भोजन गर्म करने की व्यवस्था की जानी चाहिए[93]। बच्चों के लिए दूध और खाद्य पदार्थों को रखने के लिए एक रेफ्रिजरेटर भी प्रदान किया जा सकता है।

सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग से महिला कैदियों के बच्चों को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास होना चाहिए। एक महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा बच्चों की नियमित जाँच होनी चाहिए ताकि उनके शारीरिक विकास पर निगरानी रखी जा सके। बच्चों को उचित समय पर पोलियो और चेचक सहित विभिन्न बीमारियों के टीकाकरण का भी

प्रबंध किया जाना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी की लिखित अनुशंसा पर बच्चों के लिए अतिरिक्त कपड़े और आहार का भी प्रबंध किया जा सकता है[94]।

ऐसी कोई महिला कैदी जिनके साथ छोटे बच्चे रहते हैं, यदि वो बीमार हो जाती हैं तो जेल कर्मचारी को बच्चों की देखभाल की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए[95]। जब बच्चा छह साल का हो जाए तो जेल अधीक्षक को सामाजिक निदेशालय, बाल अधिकार विभाग, संबंधित बाल कल्याण समिति (CWC), या जिला बाल संरक्षण इकाई को सूचित करना चाहिए ताकि उस बच्चे को किसी पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान में तब तक रखा जा सके जब तक उसकी माँ जेल से रिहा नहीं हो जाती है या बच्चा अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हो जाता है[96]। बालगृह में रहने वाले बच्चों को जेल अधीक्षक द्वारा आवंटित समय पर सप्ताह में कम से कम एक बार जेल में अपनी माँ से मिलने दिया जाना चाहिए[97]।

जेल के अंदर महिला बैरक में शिशु सदन (creche) और नर्सरी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए ताकि महिला कैदियों के बच्चों की वहाँ देखभाल की जा सके। शिशु सदन (creche) में तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुमति दी जाएगी। तीन और छह साल की उम्र के बच्चों को नर्सरी में भेजा जाएगा[98]। यदि बच्चे उस आयु–वर्ग के भीतर नहीं आ रहे या जेल में बच्चे के रहने की अवधि इतनी कम है कि उसके लिए शिशु सदन (creche) की स्थापना करना उचित नहीं हो तो महिला और बाल विकास या सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी के जरिये स्थानीय आँगनवाडी सुविधाओं का लाभ बच्चों को प्रदान कराना चाहिए।

ग. विदेशी नागरिक

महिला कैदी जो विदेशी नागरिक हैं, उन्हें राजनयिक और दूतावास प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने के लिए उचित सुविधाएं दी जानी चाहिए[99]। यदि महिला कैदी शरणार्थी है तो उन्हे भी ऐसी संस्थान जिसका काम शरणार्थियों के हितों की रक्षा करना है, जैसे कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (UNHCR), से संवाद स्थापित करने की इज़ाज़त दी जानी चाहिए।

7. रिहाई और पुनर्वास

यह आवश्यक है कि महिला जेलों में कार्यरत कर्मचारी ऐसे मुद्दों के लिए प्रशिक्षित हों, जो महिलाओं की रिहाई के बाद समाज में पुनः लौटने में बाधा डालती हैं। जेल कर्मचारियों को इस बात के लिए भी जागरूक रहने की जरुरत है कि वो परिस्थितियाँ जिस वजह से महिलाएं जेल आती हैं, वो आमतौर पर पुरुष कैदियों के जेल आने की वजह से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसलिए, यह महत्वपूर्ण हो जाता है जेल में प्रवास के दौरान महिला कैदियों को वो सुविधाएं और सेवाएँ दी जाएं जिसका लाभ उठा कर इस योग्य बन पायें कि जेल से बाहर निकलने पर आर्थिक रूप से सक्षम बन कर समाज के साथ फिर से एकीकृत हो सकें। इसके लिए, जेल अधिकारियों को जेल में शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार करना चाहिए ताकि महिला कैदियों को रोजगार की संभावनाएं तलाश करने मे मदद मिल सके[100]। इसके अलावा, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जेल से बाहर आने के समय और उसके बाद दी जाने वाली मदद अलग–अलग समुदाय की महिलाओं की भिन्न होगी। समाज में पुनर्वास के लिए महिला कैदियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों की योजना बनाते समय जेल अधिकारियों को हर कैदी की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। महिला कैदियों के लिए व्यक्तिगत देखभाल की तैयारी करते समय जेल अधिकारियों को ज़िला परिवीक्षा या जेल कल्याण अधिकारी की सेवाओं का लाभ लेना चाहिए और उनके परामर्श से बनी योजनाओं को महिला कैदियों के जेल प्रवास से लेकर रिहाई तक व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

क. शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अध्ययनों से पता चला है कि ऐसे कैदी जिसे जेल प्रवास के दौरान शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा दुबारा अपराध करने की संभावना उन कैदियों की तुलना में कम होती है, जिन्हें ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होता है। ऐसी महिला कैदी जो सज़ा की वजह से अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई हो, उन्हें जेल के अंदर अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यह उन्हें नए हुनर सीखने में मदद करेगा, जो रिहाई के बाद उनके काम आएगा। जेल प्रवास के दौरान हर महिला कैदी को उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम पूरा करने का विकल्प दिया

जाए ताकि रिहाई के बाद उन्हें रोजगार की संभावनाएं तलाश करने में मदद मिले। हर दिन कम से कम एक घंटे के लिए शिक्षा को अनिवार्य गतिविधि बनाना चाहिए[101]। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेल अधिकारियों को व्यस्क शिक्षा, सामाजिक, नैतिक और स्वास्थ्य शिक्षा, परिवार कल्याण कार्यक्रम और विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण का शिविर आयोजित करना चाहिए।

कैदियों को मनोरंजक सुविधाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम[102] और पुस्तकों[103] की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।

महिला कैदियों को प्रदान किया जाने वाला व्यवसायिक प्रशिक्षण उनकी योग्यता और पृष्टभूमि के अनुकूल होना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसलिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम का चुनाव करते समय, उसकी रोजगार की संभावना और लाभप्रदता को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि रिहाई के बाद महिला कैदी अपनी आजीविका कमाने की क्षमता में वृद्धि कर पाए[104]।

जब तक डॉक्टर द्वारा काम ना करने की सलाह दी जाती है, सभी कैदी जेल में काम और अन्य गतिविधियों में लगे रहेंगे, जिसके लिए उन्हें उचित मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। कैदियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, पुरुषों और स्त्रियों द्वारा किए गए कार्यों में कोई भेद नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था भी बननी चाहिए कि कमाई का एक हिस्सा प्रशासन द्वारा बचत निधि में जमा किया जाए और रिहाई के समय वो निधि कैदियों को सौंप दिया जाए। इस व्यवस्था के तहत कैदियों को कमाई का एक हिस्सा अपने जरुरत के उन सामानों, जिसकी अनुमति जेल प्रशासन द्वारा दी गई है और एक हिस्सा परिवार को भेजने की भी इजाजत दी जाएगी[105]।

ख. रिहाई की तैयारी करना और रिहाई में मदद करना

जेल प्रशासन, परिवीक्षा और सामाजिक कल्याण सेवाओं, स्थानीय सामुदायिक समूह और गैर–सरकारी संगठन के सहयोग से महिलाओं की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिहाई के समय और रिहाई के बाद पुनर्वास का कार्यक्रम तैयार करेगा और उसका उपयोग महिला कैदियों को दोबारा समाज में वापस घुलने मिलने में मदद करने, जेल में रहने से जुड़े कलंक को खत्म करके अपने परिवार के साथ शीघ्र से शीघ्र संपर्क स्थापित करने में किया जाएगा[106]।

रिहाई के बाद कैदी फिर से एक सामान्य सामाजिक जीवन जी सके इस दिशा में प्रयास के लिए जेल को खुला जेल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। लिंग–संवेदनशील प्रबंधन नीति के अनुरूप, महिलाओं की समय से पहले रिहाई के लिए विशेष छूट देने की भी जरुरत है, खासकर वैसी स्थिति जहाँ महिला अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाली सदस्य है और जहाँ महिला के परिवार की देखभाल की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जहाँ तक संभव हो, गर्भवती माताओं को उनके बच्चे के जन्म होने तक निलंबित सज़ा सुनाई जा सकती है, या फिर जेल के अंदर बच्चे पैदा न हों[107] इसका उपाय किया जाना चाहिए। पैरोल और फर्लो के लिए उदार नीति बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा, गैर संस्थागत सुधारात्मक उपाय[108] के रूप में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम,1958 (Probation of Offenders Act, 1958) का इस्तेमाल महिला अपराधियों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। जरूरतमंद महिला कैदियों को पुनर्वास के लिए सुधारगृह योजना[109] के तहत दी जाने वाली संस्थागत मदद का लाभ दिलवाने के लिए जेल प्रशासन को महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जेल प्रशासन प्रत्येक ज़िले में वैसे स्वयंसेवी संगठनों की भी पहचान कर सकता है जिस पर रिहाई के बाद कैदियों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जा सके[110]। महिला अपराधियों और उनके परिवार के सदस्यों को व्यापक, गहन और निरंतर परामर्श देने का काम यह सामजिक संगठन/गैर सरकारी संगठन कर सकते हैं। ताकि महिला कैदियों के समाज में पुनर्वासित होने में रुकावटों को रोकने का काम किया जा सके तथा इन कैदियों के प्रति समाज का व्यवहार बदलने का भी प्रयास कर सके[111]।

हर वो महिला कैदी जिसे अपने जिले से बाहर के जेल में रखा गया है उनको रिहाई से दस दिन पहले अपने जिले के जेल में भेजा जाएगा[112]। किसी महिला कैदी की रिहाई से पहले, उसके परिवार के सदस्यों और दोस्तों को पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाएगी ताकि रिहाई के समय वे लोग जेल में उपस्थित रहें। यदि उसकी रिहाई के दिन कोई रिश्तेदार उपस्थित नहीं रहता है, तो उसे उसके घर महिला एस्कॉर्ट के संरक्षण में भेजा जाएगा। जेल उप–अधीक्षक महिला कैदी की सुरक्षित रिहाई के लिए किए गए उपायों और उसे महिला एस्कॉर्ट के संरक्षण में भेजे जाने की बात अपनी रिपोर्ट बुक में दर्ज करेगा[113]।

ग. विशेष समूहों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम[114]

युवा महिला कैदी

युवा महिला कैदियों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उस स्तर का प्रदान किया जाना चाहिए, जो पुरुषों के बराबर का हो। संभावित यौन शोषण या हिंसा को संबोधित करने के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा स्त्री रोग विशेषज्ञों की नियमित सेवाएं भी मिलनी चाहिए। उम्र और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए युवा महिला कैदियों को अलग बैरक में रखा जाना चाहिए और उनके साथ होने वाला बर्ताव वैसा हो, जो उनकी उम्र और समाज में पुर्नावास की जरूरतों के अनुकूल हो'[115]।

विदेशी कैदी

विदेशी महिला कैदियों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इन कैदियों की विशेष परिस्थिति और हिरासत में लिए जाने की वजह को ध्यान में रखते हुए उनके लिए कार्यक्रम चलाए जाने की जरुरत है। विदेशी नागरिकों के सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके इन कैदियों की मदद की जा सकती है। ई–लर्निंग पाठ्यक्रम भी एक उपाय है जिसे अपनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है।

अल्पसंख्यक समुदाय के कैदी

जेल अधिकारियों के बीच यह समझ विकसित होने की जरुरत है कि अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाली महिला कैदियों की अपनी खास जरुरत हो सकती है और उन्हें कई स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि जेल कर्मचारी वैसे कार्यक्रम और सेवाएं (जेल प्रवास के दौरान और जेल से रिहाई के बाद) प्रदान करने की कोशिश करें जो इन कैदियों की खास जरूरतों को पूरा कर सके।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जरुरत

वैसे कैदी जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की जरुरत है, प्रशिक्षित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का जेल में नियमित दौरा होना आवश्यक है। जिन जेलों में ये नहीं हो रहा है, वहां जेल कर्मचारियों को भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक तकलीफों के संकेतों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि जरुरत पड़ने पर वो उचित कदम उठा सकें। सबसे अच्छा होगा कि जेल अधिकारी सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली संस्थानों के साथ मिलकर काम करें ताकि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

दिव्यांग कैदी

नेल्सन मंडेला नियमों के अंतर्गत, जेल प्रशासन जेल के अंदर वो सभी सुविधाएं प्रदान करेगा जिसकी मदद से दिव्यांग कैदी का जेल के अंदर का जीवन बाकी कैदियों के स्तर के बराबर का हो'[116]। इसके लिए, जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि सूचनाएं देने के लिए ब्रेल या ऑडियो जैसे वैकल्पिक माध्यम का भी इस्तेमाल किया जाए।

समलैंगिक, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स कैदी

समलैंगिक, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स कैदी हिंसा और यौन शोषण सहित सभी तरह के दुर्व्यवहार और भेदभाव के आसानी से शिकार हो जाते हैं। जेल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी कैदी की यौन अभिरुचि का इस्तेमाल अन्य कैदी यौन शोषण करने में नहीं करेगा। ऐसे मामले सामने आने पर जेल नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। रिहाई के बाद भेदभाव और बदनामी इस समूह के लिए रोजगार और आवास ढूंढने में कठिनाई उत्पन्न करता है। जेल में सज़ा काटने के दौरान उचित परामर्श ऐसे कैदियों को मानसिक आघात से लड़ने में सक्षम बना सकता है।

वृद्ध कैदी

जेल कल्याण अधिकारियों और सामाजिक कल्याण विभाग के वरिष्ठ नागरिक प्रभाग के सहयोग से जेल अधिकारी उम्रदराज कैदियों की उम्र और स्वास्थ्य से जुडी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए काम कर सकते है। इन कैदियों को विशेष मदद की जरुरत है क्योंकि रिहाई के बाद इन्हें समाज से मदद नहीं मिल पाती है।

8. जेल कर्मचारी और प्रशिक्षण

महिला कैदियों पर निगरानी और उनकी देखभाल सिर्फ महिला कर्मचारी द्वारा ही की जानी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष कर्मचारी खासकर डॉक्टरों और शिक्षकों को, जेल के अन्दर या जेल के उस हिस्से में जहाँ महिला कैदियों को रखा जाता है, अपनी पेशवर जिम्मेदारी निभाने से रोका जाएगा[117]। ऐसी जेल जहाँ सज़ायाफ्ता महिला कैदियों को रखा जाता है कम से कम एक पद महिला अधीक्षक का होना चाहिए। उप–जेलों और डिस्ट्रिक्ट जेल के महिला बैरक की जिम्मेदारी किसी महिला उप/सहायक अधीक्षक की होगी। उनकी सहायता के लिए महिला मुख्य प्रमुख वार्डर, प्रमुख वार्डर, मैट्रन, शिक्षक, प्रशिक्षक, मनोचिकित्सक, डॉक्टर, विशेष रूप से स्त्रीरोग विशेषज्ञ और क्लर्क होंगे[118]। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि महिलाओं के बैरक में काम करने के लिए पर्याप्त महिला सुधारक कर्मचारी कार्यरत हो। उन्हें उचित वेतन, रोजगार लाभ और सेवा की शर्तें प्रदान किया जाए[119]। प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में एक कल्याण कोष स्थापित किया जाना चाहिए[120]। संस्थागत और सरकारी स्तर पर उन्हें एक उचित मंच प्रदान किया जाना चाहिए, जहाँ वो अपनी शिकायतें रख सकें[121]। देश के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में जेल संस्थानों का दौरा करने के लिए वरिष्ठ महिला अधिकारियों की अध्ययन टीमों को भेजा जाना चाहिए[122]। जेल मुख्यालय में एक महिला उप महानिरीक्षक (DIG) की नियुक्ति भी होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी महिला कैदियों और महिला जेल कर्मचारी की देखभाल करना होगी[123]। महिला कैदियों से संबंधित पूछताछ का काम महिला डीआईजी करेगी और अपनी जाँच और अनुशंसा को जेल प्रमुख को सौंपेगी[124]।

महिला कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन छुट्टी की अनुमति दी जानी चाहिए[125]। ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारी को अपने बच्चों की उचित देखभाल के लिए शिशु सदन (creche) की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए[126]। काम के दौरान कैंटीन की सुविधा[127] और भोजन का प्रबंध भी किया जाना चाहिए[128]। जेल और संबंधित संस्थानों से रिहाई के बाद की देखभाल कारागार और सुधार सेवा विभाग की ही जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में स्थित जेल सुधार सेवा विभाग में एक महिला कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए[129]। यह महत्वपूर्ण है कि महिला कैदियों की देखभाल करने वाली महिला कर्मचारी को जेल में सज़ा काट रही महिला से जुड़े विशेष मुद्दों जिनमें मानवाधिकार भी शामिल है को समझने का पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए[130]। जहां बच्चों को माँ के साथ जेल में रहने की इजाजत है, वहां बाल विकास के लिए जागरूकता और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए ताकि जरुरत पड़ने पर और आपात स्थिति में वो उचित कदम उठाने में सक्षम हों[131]। महिला कैदियों के उपचार और देखभाल से संबंधित नीतियों और रणनीतियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ वरिष्ठ पदों तक उनकी पहुंच भी शामिल करना चाहिए[132]।

9. महत्वपूर्ण विवरण और दस्तावेज

▸ रेकलेस कमीशन रिपोर्ट, 1951

1951 में, भारत सरकार के आमंत्रण पर डॉ. वाल्टर सी. रेकलेस, जो संयुक्त राष्ट्र में अपराध विज्ञान और जेल प्रशासन के विशेषज्ञ थे उन्होंने एक अध्ययन जेल प्रशासन पर कर नीतिगत सुधारों का सुझाव दिया[133]। सुझाव में महिलाओं के लिए अलग जेलों को आवश्यक बताया।

▸ अखिल भारतीय जेल मैनुयल समिति, 1957

मॉडल जेल मैनुयल बनाने के लिए भारत सरकार ने 1957 में अखिल भारतीय जेल मैनुयल समिति का गठन किया, जिसे 1960 में प्रस्तुत किया गया। इस नियमावली में उस समय भारत में जेल प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत थे[134]। इसमें महिला

अपराधियों की देखभाल, उपचार और पुनर्वास और हिरासत में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की दिशा में एक विशेष दृष्टिकोण की सिफारिश की गई[135]।

महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन, 1979

महिलाओं के अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विधेयक के रूप में वर्णित, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों (CEDAW) के उन्मूलन पर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1979 में अपनाया गया था। यह अधिवेशन महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कई उपाय निर्धारित करता है[136]।

अखिल भारतीय कारागार सुधार समिति, 1980–83 (मुल्ला समिति)

मुल्ला समिति की रिपोर्ट के अध्याय 13 महिला कैदियों के सामने आने वाले विशेष मुद्दों का समाधान करता है और उनकी स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करता है[137]। यह महिला कैदियों के लिए महिलाकर्मियों द्वारा संचालित अलग जेल/संस्थान/बाड़ा होने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल से संबोधित मुद्दों का समाधान करता है। इसकी रिपोर्ट महिला कैदियों से ऐसे कार्य करवाने की बात करती है जो रिहाई के बाद पुनर्वास में काम आए। रिपोर्ट रिहाई के बाद की देखभाल की आवश्यकता पर भी बल देती है। यह जेल कर्मचारी के प्रशिक्षण की भी बात करती है ताकि महिला कैदियों के प्रति उनका रवैया सुधारवादी हो[138]।

महिला कैदियों पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति, 1987 (न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर समिति)

महिला कैदियों पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति (एन.ई.सी) की स्थापना मौजूदा सुविधाओं और सेवाओं की कमियों या कमियों की पहचान करने और महिला अपराधियों के प्रति अधिक मानवीय नीति विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसकी मुख्य सिफारिशों में से एक नीतिगत दिशा–निर्देश तैयार करना था जो आपराधिक सुधारक प्रक्रिया में महिलाओं की विशेष जरूरतों को ध्यान में रख के बनाया जाए। समिति ने महिलाओं के हिरासतीय न्याय के संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने और अपनाने का सुझाव दिया और इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक कानूनी निकाय के निर्माण की सिफारिश की। रिपोर्ट मे महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए विशेष अदालतों के गठन की भी सिफारिश की गई है। इसमें महिला जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़ाने की बात कही गई।

'हिरासत में महिलाओं' पर भारतीय विधि आयोग की 135वीं रिपोर्ट, 1989

मुख्य मुद्दा यह है कि इस रिपोर्ट में हिरासत के दौरान उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित समाधान की मांग की गई थी। आयोग ने महिलाओं और बच्चों की गिरफ्तारी, पूछताछ और हिरासत से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करके ऐसा करने की कोशिश की। इसमें भी जेलों में महिलाओं के इलाज पर सिफारिशों को बढ़ावा दिया। इसमें महिला कैदियों को जमानत और सजा के लिए नरम प्रावधानों की भी वकालत की गई[139]।

'हिरासत में महिला'– महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति (13वीं लोकसभा), 2001 की तीसरी रिपोर्ट

13वीं संसद की इस रिपोर्ट में जेलों के अंदर महिलाओं की स्थिति को देखा गया जिसे पुराने नियमावली और जेल प्रशासन के असंवेदनशील दृष्टिकोण की वजह से समस्या बढ़ गई[140]। इस अध्ययन में पाया गया कि 80% महिला कैदी विचाराधीन थी और उनके मामले को निपटाने के लिए सरकार द्वारा पहल करने का प्रयास बहुत कम किया गया। इसमें महिला कैदियों के पुनर्वास और सुधार में जेल कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी नोट किया गया और महिला कैदियों की स्थिति पर 21 सुझावों की सूची प्रदान की गई जिसमें पुनर्वास, कानूनी सहायता के प्रावधान, महिला कैदियों के बच्चों और महिलाओं को पैरोल पर रिहा करने के लिए उदार प्रावधान शामिल हैं।

आर.डी.उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2006

विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा को लेकर अधिवक्ता आर.डी.उपाध्याय की ओर से दायर रिट याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2006 के अपने फैसले में उन बच्चों के विकास के मुद्दे पर विचार किया जो अपनी माताओं के साथ जेल में हैं। उच्चतम न्यायालय

ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से महिला कैदियों के बच्चों की देखभाल के लिए उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति बताने का आह्वान किया। इसके बाद अदालत ने महिला कैदियों के बच्चों की देखभाल, कल्याण और विकास सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा–निर्देश जारी किए ताकि इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप लाया जा सके।

▸ महिला कैदियों के इलाज के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम और महिला अपराधियों के लिए गैर–हिरासत उपाय (बैंकॉक नियम), 2010

इन्हें बैंकॉक नियमों के रूप में बेहतर जाना जाता है। महिला कैदियों के इलाज के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम और महिला अपराधियों के लिए गैर–हिरासती उपायों 70 नियमों का एक सेट है, जिसे महिला कैदियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसे लागू करना जरुरी समझा गया था क्योंकि मानक न्यूनतम नियम सभी महिला कैदियों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता था।

▸ कैदियों के इलाज के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम (नेल्सन मंडेला नियम), 2015

हालांकि कैदियों के इलाज के लिए मानक न्यूनतम नियमों को पहले 1955 में अपनाया गया था, लेकिन बाद में इन्हें 2010 में संशोधन के लिए लिया गया और नेल्सन मंडेला नियमों के रूप में 2015 में अपनाया गया। जिन आठ मूल क्षेत्रों में संशोधन किया गया उनमें कैदियों की अंतर्निहित गरिमा, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं और कमजोर समूहों की सुरक्षा[41] का सम्मान शामिल था।

▸ आदर्श जेल मैनुअल, 2016

गृह मंत्रालय द्वारा जेलों के प्रशासन और पूरे देश में कैदियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले कानूनों, नियमों और विनियमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से 32 अध्यायों से युक्त आदर्श कारागार नियमावली को मंजूरी दी गई थी। नई नियमावली के अध्याय 26 महिला कैदियों की विभिन्न लिंग–विशिष्ट जरूरतों पर विशेष ध्यान देने वाली विषय को संबोधित करता है और महिला कैदियों के बच्चों से संबंधित नियमों का भी प्रावधान करता है।

▸ 'हिरासत में महिला और न्याय तक पहुँच'– महिला सशक्तिकरण समिति की दसवीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा), अगस्त 2017

इस रिपोर्ट में हिरासत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और जेलों के अंदर उनकी हालत सुधारने की जरूरत को देखा गया है। अपनी सिफारिशों में यह सुझाव दिया है कि जेल के अंदर भीड़ को कम करने के लिए गैर–अपराधिक अपराधियों और छोटे अपराधियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जा सकता है। इस रिपोर्ट ने हिरासत में बलात्कार के मुद्दे पर भी गौर किया और प्रभावी जेल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी के इस्तेमाल की सिफारिश की और हिरासत में लोगों के लिए नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ अधिक से अधिक संवाद स्थापित को प्रोत्साहित किया। पुनर्वास विषय पर रिपोर्ट में गृह मंत्रालय को निर्देश दिया गया है कि वह महिला कैदियों को रिहा करने के बाद रोजगार के अवसरों को सुगम बनाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करे। इसमें जेलों के अंदर विभिन्न भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की रिक्तियों को भरने और उनके प्रशिक्षण को भी दोहराया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जेल प्रबंधन लैंगिक संवेदनशील है और उनकी लिंग–विशिष्ट जरूरतों से अवगत है। समिति ने विशेष रूप से न्याय तक पहुंचने में विदेशी कैदियों को होने वाली कठिनाइयों की भी जाँच की और महिला कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकारियों को सिफारिशें भी दी।

▸ हिरासत में ली गई महिलाओं की न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम – महिला सशक्तिकरण समिति की तेरहवीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा), अगस्त 2018

इस रिपोर्ट में समिति की सिफारिशों के बाद गृह मंत्रालय द्वारा अपनी 10वीं रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए उत्तरों को सम्बोधित किया गया हालांकि समिति को मंत्रालय की अधिकांश सिफारिशों पर संतोषजनक जवाब मिला, लेकिन ऐसे दो बिंदु थे, जहाँ प्रतिक्रियाओं को अंतरिम उत्तर के रूप में रेखांकित किया गया था। एक तो हर अधिकारी के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण के माध्यम से

लिंग संवेदनशील जेल प्रबंधन सुनिश्चित करने पर था। इसमें एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का सुझाव दिया गया है जिसमें गैर–सरकारी संगठन अपनी विशेषज्ञता के साथ कैदियों की बेहतरी के लिए मिलकर काम कर सकें। समिति की अन्य सिफारिश महिला कैदियों की सुरक्षा और सुधार और महिला कैदियों के स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधानों को रेखांकित करते हुए मॉडल जेल मैनुअल के अनुपालन का पता लगाने के संबंध में थी।

- **'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत, (MWCD) द्वारा वर्ष 2018 में जारी 'जेलों में महिला' पर रिपोर्ट:**

'जेलों में महिला' नामक रिपोर्ट का उद्देश्य जेलों में महिलाओं के विभिन्न अधिकारों, उनके सामने आए गए विभिन्न मुद्दों और उसके समाधान के लिए संभावित तरीकों की समझ का निर्माण करना है[142]। रिपोर्ट में महिला कैदियों के जीवन में सुधार के लिए 134 सिफारिशों की एक व्यापक सूची शामिल है, जिसमें गर्भावस्था, मानसिक स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और समाज में एकीकरण से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

- **महिला कैदियों और जेलों में उनके साथ बच्चों को कानूनी सेवाओं को बढ़ाने के अभियान पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की रिपोर्ट:**

मई 2018 में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने 10–दिवसीय अभियान जेल में महिला कैदियों और उनके साथ आने वाले बच्चों के लिए कानूनी सेवाओं का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया। अभियान के संचालन की जिम्मेदारी राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण (SLSA) को दी गई थी, जिसे जेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण सहित विभिन्न सरकारी विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इसका संचालन करना था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिला कैदियों को अपने अधिकारों और कानूनी सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना था। इसका उद्देश्य कानूनी आवश्यकताओं, स्वास्थ्य अधिकारों, कौशल विकास, महिला कैदियों और उनके आश्रित बच्चों के लिए प्रशिक्षण और मनोरंजक सुविधाएं जैसे मुद्दों को संबोधित करना था। इस अभियान के निष्कर्ष और परिणाम के संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

अंतटिप्पणी:

1. नेल्सन मंडेला नियम, नियम 11(ए)
2. बैंकॉक नियम, नियम 4
3. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.01
4. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.75
5. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.80
6. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.02
7. नेल्सन मंडेला नियम, नियम 28
8. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.01
9. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.101
10. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.74
11. 'जेलों में महिलाएं – भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट (जून 2018), पारा 5.6.3
12. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.04
13. बैंकॉक नियम, नियम 2(1)
14. बैंकॉक नियम, नियम 2(2)
15. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.05
16. बैंकॉक नियम, नियम 3(2)
17. 'जेलों में महिलाएं – भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट (जून 2018), पारा 5.7.8
18. एक नियम जिसका पालन किया जा सकता है, वो ये है कि एक मुद्रित पोस्ट कार्ड, जिसमें जेल में महिला के प्रवेश की तारीख, संबंधित पुलिस थाने का स्थान, न्यायिक हिरासत का आदेश देने वाला प्राधिकारी, मामला या प्राथमिकी संख्या, जेल / उप जेल का स्थान और कैदी को व्यक्तिगत यात्राओं के लिए निर्धारित दिन और ये पोस्टकार्ड कैदी या कैदी के साथ आने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए पते पर भेजा जाए।
19. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.32
20. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.33
21. बैंकॉक नियम, नियम 19
22. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.22
23. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.16
24. बैंकॉक नियम, नियम 20
25. बैंकॉक नियम, नियम 21
26. मार्टी ड्रेपकिन, जेल में स्ट्रिप जाँच नीतियां, सुधार एक (27 जनवरी, 2011) - https://www.correctionsone.com/corrections-training/articles/strip-search-policies-in-jails-sKIq8Sv3p5mvucSZ/ (अंतिम बार 07.03.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।
27. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.23
28. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.25
29. बैंकॉक नियम, नियम 6
30. बैंकॉक नियम, नियम 7
31. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.27
32. Id
33. बैंकॉक नियम, नियम 9
34. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.99
35. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.62–26.63
36. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.64
37. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.88–26.90
38. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.65
39. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.70
40. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.71

41. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.73
42. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.56
43. बैंकॉक नियम, नियम 5
44. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.81
45. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.68
46. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.83
47. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.84
48. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.69
49. बैंकॉक नियम, नियम 5
50. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 6.05
51. जेल में महिलाओं: मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण; जेल कर्मचारी के लिए एक गाइड, पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल, फरवरी 2020 - https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/02/PRI-Women-in-prison-and-mental-well-being.pdf. (अंतिम बार 03.03.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।
52. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.92–26.98
53. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.100
54. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 8.08
55. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.104
56. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.152
57. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.153
58. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.154
59. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.110
60. अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (न्यायधीश मुल्ला समिति रिपोर्ट), 1980–83, पारा 13.11.20
61. अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (न्यायधीश मुल्ला समिति रिपोर्ट), 1980–83, पारा 7.13.34
62. बैंकॉक नियम, नियम 10(1)
63. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.25
64. बैंकॉक नियम, नियम 10(2)
65. बैंकॉक नियम, नियम 15
66. मॉडल जेल मैनुअल 2016, नियम 26.112
67. बैंकॉक नियम, नियम 13
68. जेल में महिलाओं: मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण; जेल कर्मचारी के लिए एक गाइड, पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल, फरवरी 2020 - https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/02/PRI-Women-in-prison-and-mental-well-being.pdf, pgs 19-20. (अंतिम बार 03.03.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।
69. बैंकॉक नियम, नियम 12
70. जेल में महिलाओं: मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण; जेल कर्मचारी के लिए एक गाइड, पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल, फरवरी 2020 - https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/02/PRI-Women-in-prison-and-mental-well-being.pdf, pgs 25-26 (अंतिम बार 03.03.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।
71. मॉडल जेल मैनुअल 2016, नियम 26.19
72. Id
73. बैंकॉक नियम, नियम 16
74. बैंकॉक नियम, नियम 17 और 18
75. हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के बीच कानूनी जागरूकता बढ़ाने के लिए, CHRI ने दो पोस्टर जारी किए हैं – एक है कानूनी सहायता और आप और दूसरा गिरफ्तारी से लेकर अपील तक। ये पोस्टर्स बंगाली, बर्मी, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, पंजाबी और उर्दू भाषा में उपलब्ध हैं।
76. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.118
77. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.115
78. अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी की स्थापना अप्रैल 2015 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा '1382 जेलों में पुर्नजन्म की स्थिति' शीर्षक से रिट याचिका में की गई थी। अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का उदधृत करें।

79. आर.डी.उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, AIR 2006 SC 1946
80. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.28; नेल्सन मंडेला नियम, नियम 28
81. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.29
82. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.48
83. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 6.02
84. नेल्सन मंडेला नियम, नियम 48 (2)
85. बैंकॉक नियम, नियम 22
86. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.30; नेल्सन मंडेला नियम, नियम 28
87. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.31; नेल्सन मंडेला नियम, नियम 28
88. Id
89. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.35; आर.डी.उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, AIR 2006 SC 1946
90. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.34
91. Id
92. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.42
93. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.52
94. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.44
95. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.43
96. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.35
97. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.36; बैंकॉक नियम, नियम 52 (3)
98. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.38
99. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.121
100. बैंकॉक नियम, नियम 60
101. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.103
102. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.104
103. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.101
104. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.105
105. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.106 – 26.109
106. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.127–128
107. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.122
108. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.123; बैंकॉक नियम, नियम 59
109. सुधार गृह, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय - https://www.india.gov.in/spotlight/swadhar-greh-scheme (अंतिम बार 31.01.2020 को इस्तेमाल किया गया था)
110. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.128
111. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.140
112. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.125
113. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.126
114. महिला कैदियों के पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण: बैंकॉक के नियमों का कार्यान्वयन, पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल: - https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2019/05/PRI_Rehabilitation-of-women-prisoners_WEB.pdf. (अंतिम बार 31.01.2020 को इस्तेमाल किया गया था)
115. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.04(iv)
116. नेल्सन मंडेला नियम, नियम 5
117. नेल्सन मंडेला नियम, नियम 81
118. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.155–157
119. नेल्सन मंडेला नियम, नियम 74
120. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.168
121. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.169
122. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.166

123. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.158

124. Id

125. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.174

126. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.179

127. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.180

128. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.181

129. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.133–134

130. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.12; बैंकॉक नियम, नियम 33

131. मॉडल जेल मैनुअल 2016, 26.13

132. बैंकॉक नियम, नियम 29

133. भारत में जेल सुधार, सदस्यों की संदर्भ सेवा – लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली – Lok Sabha Secretariat, New Delhi - http://parliamentlibraryindia.nic.in/writereaddata/Library/Reference%20Notes/Prison_reforms_in_India.pdf (अंतिम बार 20.01.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।

134. Id

135. महिला सशक्तिकरण समिति (13वीं लोकसभा) की तीसरी रिपोर्ट, अगस्त 2001

136. संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने पर सम्मेलन - https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm (अंतिम बार 20.01.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।

137. अध्याय 13 – महिला कैदियों, मुल्ला समिति की रिपोर्ट - https://mha.gov.in/MHA1/PrisonReforms/NewPDF/PRV1_210TO240.pdf (अंतिम बार 20.01.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।

138. महिला सशक्तिकरण समिति (13वीं लोकसभा) की तीसरी रिपोर्ट, अगस्त 2001

139. 'हिरासत में महिलाओं', भारतीय विधि आयोग की 135वीं रिपोर्ट - https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/standard-minimum-rules/ (अंतिम बार 20.01.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।

140. महिला सशक्तिकरण समिति (13वीं लोकसभा) की तीसरी रिपोर्ट, अगस्त 2001

141. नेल्सन मंडेला नियम (संशोधित एसएमआर), पीनल रिफॉर्म इंटरनेशनल - https://www.penalreform.org/issues/prison-conditions/standard-minimum-rules/ (अंतिम बार 20.01.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।

142. महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई 'जेलों में महिलाओं' पर रिपोर्ट - https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=180173 (अंतिम बार 20.01.2020 को इस्तेमाल किया गया था)।

सी. एच. आर. आई. के कार्यक्रम

सी. एच. आर. आई. कॉमनवूल्थ और इसके सदस्य देशों को मानवाधिकारों सम्बंधी उच्च स्तरीय व्यवहार, पारदर्शिता और सतत विकास उद्देश्यों (SDGs) की पूर्ति का प्रयास करता है। सी. एच. आर. आई. खासकर मानवाधिकार, न्याय तक पहुंच और सूचना तक पहुंच पर रणनीतिक पहलकदमियों और परामर्शों पर काम करता है। इसके अनुसंधान, प्रकाशन, कार्यशालाएं, विश्लेषण, लामबंदी, प्रसार और परामर्श निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं:

1. इंसाफ तक पहुंच (Access to Justice)

* **पुलिस सुधार:** बहुत से देशों में पुलिस को नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के बजाए राज्य के दमनकारी तंत्र के तौर पर देखा जाता है जिससे बड़े पैमाने पर अधिकारों का हनन और न्याय का खंडन होता है। सी. एच. आर. आई. सुनियोजित सुधार को बढ़ावा देता है ताकि पुलिस शासन की मर्जी थोपने के बजाए कानून की हुकमरानी के समर्थक के बतौर काम करे। भारत और दक्षिण एशिया में सी. एच. आर. आई. के कार्यक्रमों का उद्देश्य पुलिस सुधारों के लिए जनता के सहयोग को प्राप्त करना और नागरिक समाज को उन मुद्दों से जोड़कर मज़बूती प्रदान करना है। तंज़ानिया और घाना में सी. एच. आर. आई. पुलिस की जवाबदेही और नागरिक वर्ग से उसके जुड़ाव का परीक्षण करता है।

* **जेल सुधार:** सी. एच. आर. आई. पारंपरिक रूप से जेलों की अपारदर्शी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और कुप्रथाओं के बेनकाब करने का काम करता है। मुकदमों की भीड़, अस्वीकार्य रूप से परीक्षणपूर्व लम्बी कैद और जेल में कैद रखने जैसी व्यवस्था की असफलताओं को उजागर करने के अलावा यह कानूनी सहायता का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप करता है। इन क्षेत्रों में परिवर्तन जेल के प्रशासन और न्याय की स्थिति में प्रगति की चिंगारी भड़का सकती है।

2. सूचना तक पहुंच (Access to Information)

* **सूचना का अधिकार:** सी. एच. आर. आई. को सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देने के मामले में विशेज्ञता के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। यह देशों को प्रभावी सूचना के अधिकार कानून पारित करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कानून के विकास में यह नियमित रूप से सहायता करता है और सूचना के अधिकार कानून (आर.टी.आई. कानून) और उसके व्यवहारिक रूप को बढ़ावा देने में भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बंगलादेश, घाना और हालिया दिनों में कीनिया जैसे देशों में खासतौर से कामयाब रहा है। घाना में सी. एच. आर. आई. ने कानून पारित करने के लिए प्रयासों को संगठित किया, कामयाबी लम्बे संघर्ष के बाद 2019 में मिली। सी. एच. आर. आई. नियमित रूप से नए कानूनों की समीक्षा करता है और सबसे बेहतर पद्धति को सरकार तथा नागरिक समाज दोनों के संज्ञान में लाने के काम में हस्तक्षेप करता है, उस समय भी जब कानून का मसौदा तैयार किया जाता है और उसे पहली बार लागू करते समय भी तब भी। सी. एच. आर. आई. को विपरीत वातावरण और सांस्कृति रूप से विविध क्षेत्रों में काम करने अनुभव है जो इसे नए सूचना अधिकार कानून बनाने के इच्छुक देशों में बहुमूल्य अंतदृष्टि लाने में सक्षम बनाता है।

* **दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों का नेटवर्क (SAMDEN)**

  सी. एच. आर. आई. ने दक्षिण एशिया में 'मीडियाकर्मियों पर बढ़ते हुए हमलों और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर दबाव' के मुद्दे को सम्बोधित करने के लिए मीडिया पेशेवरों का एक क्षेत्रीय नेटवर्क विकसित किया है। इस नेटवर्क, दक्षिण एशिया मीडिया रक्षकों के नेटवर्क सैमडेन का मानना है कि ऐसी स्वतंत्रता अविभाज्य है और वह कोई राजनीतिक सीमा नहीं जानती है। भेदभाव और धमकियों का अनुभव रखने वाले मीडिया पेशेवरों के एक खास समूह द्वारा नियंत्रित, सैमडेन ने मीडिया पर दबाव, मीडिया की सिकुड़ती गुंजाइश और प्रेस की आजादी के मुद्दों को बेनकाब करने का दृष्टिकोण विकसित किया है। यह मीडिया को लामबंद करने के लिए भी काम कर रहा है ताकि सहयोग और संख्या बल के माध्यम से ताकत में इज़ाफा हो। सहक्रियता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र सैमडेन को आरटीआई आंदोलन और कार्यकर्ताओं से जोड़ने में निहित है।

3. अंतर्राष्ट्रीय वकालत और कार्यरचना

अपनी प्रमुख रिपोर्ट 'इज़ियर सेड दैन डन' के माध्यम से सी. एच. आर. आई. राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों के मानवाधिकार दायित्वों के अनुपालन, खासकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में, की निगरानी करता है। यह मानवाधिकार चुनौतियों की वकालत करता है और रणनीतिक रूप सेसंयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, राष्ट्रमंडल सचिवालय, राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्यवाही समूह और मानवाधिकार एवं जन अधिकारों के लिए अफ्रीकी आयोग समेत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रय निकायों के साथ मिलकर काम करता है। वर्तमान रणनीतिक पहलकदमियों में एसडीजी 16, एसडीजी 8.7 के लिए वकालत करना, जवाबदेही और वैश्विक सामयिक समीक्षा के लिए राष्ट्रमंडल सदस्यों को एकजुट और नियंत्रित करना शामिल है। हम मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा और नागरिक समाज के विस्तार की वकालत और हिमायत करते हैं।

4. एसडीजी 8.7: दासता के समकालीन स्वरूप

2016 से सी. एच. आर. आई. ने राष्ट्रमंडल पर संयुक्त राष्ट कायमी विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 8.7, की प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए दबाव बनाया है। इसमें बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए तत्काल रूप से प्रभावी कदम उठाने, आधुनिक दासता और मानव तस्करी को खत्म करने और बाल सैनिकों की भरती और प्रयोग समेत अत्यंत कुरूप बाल मजदूरी को मिटाना और उसको प्रतिबंधित करना और 2025 तक बाल मजदूरी के हर स्वरूप को समाप्त करना शामिल है। जुलाई 2019 में सी. एच. आर. आई. ने राष्ट्रमंडल 8.7 नेटवर्कका शुभारंभ किया जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे उन गैर सरकारी संगठनों के बीच भागीदारी को सहयोग करता है जो राष्ट्रमंडल देशों में दासता के समकालीन स्वरूप को खत्म करने का साझा दृष्टिकोण रखते हैं। सभी पांच क्षेत्रों से करीब 60 गैर सरकारी संगठन की सदस्यता वाला नेटवर्क देश के विशिष्ट और विषयगत मुद्दों और बेहतर पद्धति के लिए सूचना साझा करने और सामूहिक वकालत को शक्ति प्रदान करने वाले मंच के बतौर सेवा देता है।

Activity supported by the
Canada Fund for Local Initiatives

Activité réalisée avec l'appui du
Fonds canadien d'initiatives locales

Canada

"The journey of gender justice is long; the battle for equity and equality for the weaker sex, amidst feudalist inhibitions, is on... Still there is hope that some action will happen... Many police and prison officers, men and women, are unbelievably humanist. The negative thought that nothing will succeed must be dissolved and positive hope that reforms will work must be kindled."

- Justice V.R. Krishna Iyer

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative
working for the practical realisation of human rights in the Commonwealth

55A, Third Floor, Siddhartha Chambers - I,
Kalu Sarai, New Delhi 110 016, India
Tel: +91 11 4318 0200 Fax: +91 11 2686 4688
E-mail: info@humanrightsinitiative.org
Website: www.humanrightsinitiative.org
Twitter: @CHRI_INT